

उत्तर प्रदेश सरकार,
राजस्व अनुभाग-14
संख्या:-2198/एक-14-2010-33(100)/2010 टी0सी0 II
लखनऊ 15 जनवरी, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश, 2011 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 1, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और ऐसी सेवाओं के लिए तथा प्रथम अपील के निस्तारण के लिए नियत समय सीमाएं तात्कालिक प्रभाव से अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व	जाति प्रमाण-पत्र	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		आय प्रमाण-पत्र	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		निवास प्रमाण-पत्र	उप जिलाधिकारी	20 कार्य दिवस	जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		भूमि का अविवादित नामान्तरण	तहसीलदार	45 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		किसान बही	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी

		(मूल)		दिवस	जिलाधिकारी	दिवस	
		किसान बही (डुप्लीकेट कापी)	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
2	नगर विकास	नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामान्तरण	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी	45 कार्य दिवस (नामान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि से)	नगर आयुक्त	45 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		नगर निगम क्षेत्र में, (जहाँ तकनीकी रूप से संभव हो।) नवीन जल आपूर्ति संयोजन	नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्रीय जलकल अभियंता	30 कार्य दिवस	महाप्रबन्धक, जलकल	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त
		नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी	45 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		नगर निगम क्षेत्र में जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी/जोनल स्वास्थ्य अधिकारी	45 कार्य दिवस	अपर नगर आयुक्त	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त
3	चिकित्सा एवं	विकलांगकता	मुख्य चिकित्सा	60 कार्य	मण्डलीय अपर	90 कार्य	मण्डलायुक्त

	स्वास्थ्य	प्रमाण-पत्र	अधिकारी	दिवस	निदेशक	दिवस	
4	खाद्य एवं रसद	नया ए०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना (नगरीय क्षेत्र)	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी	30कार्य दिवस	जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		नया ए०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना (ग्रामीण क्षेत्र)	खण्ड विकास अधिकारी	30कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी

आज्ञा से.
K. K. Singh

(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

2

संख्या :-2198(1)/एक-14-2011-33(100)/2010टी0सी0 III तद दिनांक

प्रतिलिपि उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0 लेखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत अधिसूचना को शासकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में दिनांक 15-01-2011 के अंक में प्रकाशित कराये तथा गजट में प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रति राजस्व अनुभाग-14 को उपलब्ध कराये।

संलग्नक:यथोक्त

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह),
विशेष सचिव।

संख्या :-2198(2)/एक-14-2011-33(100)/2010टी0सी0 III तद दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

- (1) स्टाफ आफीसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव/मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (5) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लेखनऊ।
- (6) विशेष सचिव (श्री आर0 के0यादव) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1/खाद्य रसद अनुभाग-6/नगर विकास अनुभाग-4
- (8) राजस्व सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह),
विशेष सचिव।